(ख) यदि हां, तो ऐसी प्रमुख समस्याएं क्या-क्या हैं; और

(ग) इन कठिनाइयों को दूर करने और उपर्युक्त योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रायल के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ): (क) और (ख) कतिपय सांसद, सांसद् स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन में उनके द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों के बारे में शिकायत करते आ रहे हैं। संसद सदस्यों की अधिकांश शिकायतें जिला प्रशासन की ओर से असहयोग तथा उनके द्वारा अनुशासित निर्माण कार्यों के निष्पादन में विलम्ब से संबंधित हैं।

(ग) जब कभी इस बारे में संसद सदस्य से पत्र प्राप्त होता है, तब संबंधित कलेक्टर/राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी जाती है और मामले को उनके साथ उठाया जाता है तथा आवश्यक निर्देश जारी किए जाते हैं। सांसदों द्वारा अनुशासित निर्माण कार्यों को तेजी से कार्यान्वित करने के लिए कलेक्टरों को सामान्य निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत माननीय सांसदों द्वारा सुझाए गए निर्माण कार्यों के ठोस एवं प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कलेक्टरों के संदेह को दूर करने हेतु "स्थापित प्रक्रिया" तथा "इलैक्ट्रानिक्स परियोजनाएं" शब्द के बारे में स्पष्टीकरण जारी किए गए। कुछ मामलों में विभाग के अधिकारियों ने निर्माण कार्यों को शीघ्र निपटाने के दृष्टिकोण से स्थल पर ही जांच पड़ताल की।

**Delay in completion of MEGA Public sector Projects**

1331. SHRI SATISH AGARWAL: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that completion of a large number of Mega Public Sector Projects have been pending for more than 5 years; and

(b) if so, details and reasons for the same?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION OF THE MINISTRY (YOGINDER ALAGH): (a) As on 31-3-1996 only three mega projects (costing Rs. 1000 crores and above) were lagging behind the time schedule for more than five years.

(b) The details and reasons for the delay of the three mega projects are given Annexure. *[See* Appendix 128, Annexure No. 37]

**गुजरात में सरहदी विकास बोर्ड की स्थापना किया जाना**

1332. श्री गोपालसिंह जी० सोलंकी: क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात के कच्छ जिले के विकास हेतु एक स्वायत्ताशासी सरहदी विकास बोर्ड की स्थापना संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब से लंबित है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण है;

(घ) क्या राज्य की पूर्व सरकार ने इस प्रस्ताव को केन्द्रीय गृह मंत्री को प्रेषित कर दिया था; और

(ङ) इस संबंध में सरकार की क्या नीति है और इस मामले में सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगिन्द्र के० अलग): (क) गुजरात में कच्छ जिले के विकास के लिए स्वायत्तशासी सरहदी विकास बोर्ड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) इस संबंध में योजना आयोग के पास कोई सूचना नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

**Uniform Eligiblity service for section officers' examination**

1333. SHRI RAJ NATH SINGH:
SHRIMATI MALTISHARMA:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the matter regarding provision of uniform eligibility service of four years for appearing in Limited departmental competitive examination for Section Officers' Grade has since been finalised;

(b) if not, the reasons therefor; and

(c) by when the matter would be finalised?